जनपद-गाजीपुर

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

1. इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.01.2021 तक आवेदन लिया जायेगा।
2. कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।
3. आवेदक के परिवार की आय रूपये 2.00 लाख के अन्तर्गत हो।
4. विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगें।
5. इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह के साथ ही विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह कराया जाना है।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. इस योजना में कन्या के खाते में 35,000 की धनराशि तथा 10,000 रूपये की सामाग्री दिया जाएगा।

खण्ड विकास अधिकारी गाजीपुर	**राम विलास यादव** समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर	**श्रीप्रकाश गुप्ता** मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर	**मंगला प्रसाद सिंह** जिलाधिकारी गाजीपुर